हरियाणा सरकार

अनुपूरक अनुमान

2022-23
(तीसरी किस्त)

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधान सभा को यथा–प्रस्तुत)

प्रस्तावना

इस खंड में शामिल पूरक मांगें चालू वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमानों की तीसरी किस्त है। प्रस्तावित तृतीय अनुपूरक विनियोग बजट अनुमान 2022–23 के बाद हुए अत्यावश्यक व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुदान के अलावा आवश्यक अतिरिक्तताओं के कारण हैं।

2. कुल प्रस्तावित तृतीय अनुपूरक मांगें 19314.47 करोड़ रुपये की हैं, जिसमें 718.37 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 18596.10 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। इस राषि में 18536.00 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों पर अपनी तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) और अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का उपयोग करने के लिए बल दिया है क्योंकि ये निधियां बाजार उधारी (राज्य विकास ऋण) जैसे अन्य स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध होती हैं।

3. हरियाणा के लिए एसडीएफ की सीमा 556.00 करोड़ है, जो रेपो रेट माइनस दो प्रतिशत पर उपलब्ध है, यह 4.25 प्रतिशत है। हरियाणा का डब्ल्यूएमए 1464.00 करोड़ रुपये है, जो उपरोक्त की तुलना में 6.25 प्रतिशत के रेपो रेट पर उपलब्ध है। चालू वित्त वर्ष 2022–23 में राज्य के बाजार उधारी (राज्य विकास ऋण) की भारित औसत ब्याज दर लगभग 7.67 प्रतिशत है।

4. तदनुसार, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के एक भाग के रूप में और तरलता की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए नियमित आधार पर विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया जाए। इससे राज्य के खजाने पर ब्याज का बोझ कम हुआ है। राज्य की तरलता की स्थिति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसडीएफ और डब्ल्यूएमए को दैनिक आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। इसलिए राज्य के खजाने पर एसडीएफ और डब्ल्यूएमए का शुद्ध प्रभाव शून्य है।

5. तदनुसार तृतीय पूरक अनुमानों की शुद्ध राशि केवल 718.37 करोड़ रुपये है।

अनुराग रस्तोगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी क़िस्त) (राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	गृह/ कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2014-न्याय प्रशासन	...	60,09,57,000	**60,09,57,000**		...	...	**...**	**60,09,57,000**	**1-3**
		कुल	**...**	**60,09,57,000**	**60,09,57,000**		**...**	**...**	**...**	**60,09,57,000**	
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	...	...	...	**...**	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	171,73,21,000	...	**171,73,21,000**	**171,73,21,000**	**4-6**
			...	**...**	**...**	**कुल**	**171,73,21,000**	**...**	**171,73,21,000**	**171,73,21,000**	
08	लोक ऋण	...	...	...	**...**	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	18536,00,00,000	**18536,00,00,000**	**18536,00,00,000**	**7-9**
			...	**...**	**...**	**कुल**	**...**	**18536,00,00,000**	**18536,00,00,000**	**18536,00,00,000**	
12	शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास)	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,00,000	...	**2,00,000**		...	...	**...**	**2,00,000**	**10-12**
		कुल	**2,00,000**	**...**	**2,00,000**		**...**	**...**	**...**	**2,00,000**	

अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी क़िस्त) (राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2801-बिजली	546,62,34,000	...	**546,62,34,000**		...	...	**...**	**546,62,34,000**	**13-15**
		कुल	**546,62,34,000**	**...**	**546,62,34,000**		**...**	**...**	**...**	**546,62,34,000**	
		कुल जोड़	**546,64,34,000**	**60,09,57,000**	**606,73,91,000**	**कुल जोड़**	**171,73,21,000**	**18536,00,00,000**	**18707,73,21,000**	**19314,47,12,000**	

मांग संख्या 05
गृह/ कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजी ओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)

वर्ष 2022-23 के अनुदानों और विनियोजनो की मागो के विवरण पत्र का पृष्ठ (V) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: सात हजार पाँच सौ तीन करोड़ बानबे लाख तीस हजार रुपये

प्रभारित: एक सौ चौरासी करोड़ तैंतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: चार सौ पैंतीस करोड़ रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2014-न्याय प्रशासन

राजस्व

प्रभारित साठ करोड़ नौ लाख सत्तावन हजार रूपये।

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

102-उच्च न्यायालय

98-स्थापना

98-स्थापना खर्च

राजस्व ₹

प्रभारित

(01) वेतन	59,97,25,000
(05) कार्यालय खर्चे	12,32,000
कुल	**60,09,57,000**
कुल 2014-न्याय प्रशासन	**60,09,57,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2022-23	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	8171,96,30,000
प्रभारित	184,33,81,400
पूंजीगत	
स्वीकृत	435,00,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	60,09,57,000
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	60,09,57,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	8851,39,68,400
राजस्व	
स्वीकृत	8171,96,30,000
प्रभारित	244,43,38,400
पूंजीगत	
स्वीकृत	435,00,00,000
प्रभारित	...

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

102-उच्च न्यायालय

98-स्थापना

98-स्थापना खर्च

प्रभारित **60,09,57,000**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान न्यायिक वेतन आयोग को अमल करने हेतु खर्चो को वहन करने के लिये 60,09,57,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2022-23 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अत: 60,09,57,000/- रुपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है ।

यह एक "प्रभारित" (राजस्व) खर्च का मद है ।

मांग संख्या 07
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां

वर्ष 2022-23 के अनुदानों और विनियोजनो की मागो के विवरण पत्र का पृष्ठ (VII-VIII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत:

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार एक सौ सत्रह करोड़ चालीस लाख साठ हजार रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

पूंजीगत

स्वीकृत एक सौ इकहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04-चीनी

101-सहकारी चीनी मिलों को कर्ज

99-सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण

51-लागू नहीं

	₹
पूंजीगत	
स्वीकृत	
(23) कर्जे	171,73,21,000
कुल	**171,73,21,000**
कुल 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	**171,73,21,000**

4. कुल मूल अनुदान 2022-23	₹
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	1117,40,60,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	171,73,21,000
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	171,73,21,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	1289,13,81,000
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	1289,13,81,000
प्रभारित	...

6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04-चीनी

101-सहकारी चीनी मिलों को कर्ज

99-सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण

51-लागू नहीं

स्वीकृत **171,73,21,000**

वित्त वर्ष 2022-23 में गन्ना पेराई के बकाया भुगतान हेतु खर्च को पूरा करने के लिए 1,77,73,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। मांग संख्या 07-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां में 5,99,79,000/- रुपये की उपलब्ध बचत को समायोजित करते हुए 1,71,73,21,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2022-23 में उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,71,73,21,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक "स्वीकृत" (पूंजीगत) खर्च का मद है ।

मांग संख्या 08
लोक ऋण

वर्ष 2022-23 के अनुदानों और विनियोजनो की मागो के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXXIV-XXXV) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत:

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत:

प्रभारित: चौंतीस हजार पाँच सौ उनासी करोड़ चौंसठ लाख सोलह हजार नौ सौ तैंतालीस रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

पूंजीगत

प्रभारित अठारह हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

51-लागू नहीं

110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

पूंजीगत	**₹**
प्रभारित	
(23) कर्जे	18536,00,00,000
कुल	**18536,00,00,000**
कुल 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	**18536,00,00,000**

4. कुल मूल अनुदान 2022-23	₹
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	34579,64,16,943

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	18536,00,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	18536,00,00,000

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	53115,64,16,943
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	53115,64,16,943

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

51-लागू नहीं

110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

प्रभारित **18536,00,00,000**

भारतीय रिजर्व बैंक ने हर वर्ष होने वाले राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों पर अपनी तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष आहरण सुविधा(एसडीएफ़) और अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) का उपयोग करने के लिए बल दिया है क्योकि ये निधिया बाज़ार उधारी (राज्य विकास ऋण) जैसे अन्य स्त्रोतों की तुलना मे नाममात्र/कम ब्याज दर पर उपलब्ध होती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारो को विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम अल्पाविधि संसाधनो की कमी को दूर करने तथा बाज़ार उधारी (राज्य विकास ऋण) जैसे अन्य स्त्रोतों की तुलना मे कम ब्याज दर पर बेहतर तरलता प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनाक 1 अप्रैल, 2022 की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार हरियाणा की अर्थोयाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा 1464,00,00,000/- रूपये है, जो 6.25 प्रतिशत के रेपों रेट पर उपलब्ध है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा 556,00,00,000/- रूपये है, जो रेपों रेट माइनस दो प्रतिशत पर उपलब्ध है। वर्तमान मे यह 4.25 प्रतिशत (6.25-2.00) है।

उपरोक्त की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के बाज़ार उधारी (राज्य विकास ऋण) की भारित औसत ब्याज दर लगभग 7.67 प्रतिशत है।

तदनुसार, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के एक भाग के रूप में और तरलता की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संसाधनो कि कमी को दूर करने के लिए नियमित आधार पर विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया जाए। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ब्याज का बोझ कम हुआ है।

अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) के माध्यम से 18536,00,00,000/- रूपये कि मांग कि जा रही है। राज्य कि तरलता कि स्थिति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसडीएफ़ और डबल्यूएमए को दैनिक आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया गया है। इसलिए राज्य के खजाना पर एसडीएफ़ और डबल्यूएमए का सुध प्रभाव शून्य है।

यह "प्रभारित" व्यय का एक मद है।

मांग संख्या 12
शिक्षा
(उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास)

वर्ष 2022-23 के अनुदानों और विनियोजनो की मागो के विवरण पत्र का पृष्ठ (XI-XII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: बीस हजार तीन सौ तीस करोड़ नौ लाख छियानवे हजार सात सौ बीस रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार आठ सौ पचास करोड़ अठारह लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व

स्वीकृत दो लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(09) सहायतानुदान सामान्य	1,00,000
कुल	**1,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

66-महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(09) सहायतानुदान सामान्य	1,00,000
कुल	**1,00,000**
कुल 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	**2,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2022-23	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	22096,13,96,720
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	1880,18,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	2,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	2,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**

23976,33,96,720

राजस्व

स्वीकृत 22096,15,96,720

प्रभारित ...

पूंजीगत

स्वीकृत 1880,18,00,000

प्रभारित ...

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना को पुनः सृजित करते हुए, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य नोडल खाता खोलने हेतु 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक मांग की जा रही है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2022-23 में इस राशि का उपबंध नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च का मद है ।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

66-महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना को पुनः सृजित करते हुए, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य नोडल खाता खोलने हेतु 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक मांग की जा रही है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2022-23 में इस राशि का उपबंध नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च का मद है ।

मांग संख्या 19
सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्ष 2022-23 के अनुदानों और विनियोजनो की मागो के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVIII-XX) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: नौ हजार सात सौ चौदह करोड़ उनतीस लाख तिरेपन हजार रुपये

प्रभारित: एक लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: चार हजार दो सौ छप्पन करोड़ उनचास लाख साठ हजार रुपये

प्रभारित: साठ करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2801-बिजली

राजस्व

स्वीकृत पाँच सौ छियालीस करोड़ बासठ लाख चौंतीस हज़ार रुपये।

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

800-अन्य व्यय

99-एच.वी.पी.एन.एल. को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(11) अनुदान	546,62,34,000

कुल	**546,62,34,000**
कुल 2801-बिजली	**546,62,34,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2022-23	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	10044,30,53,000
प्रभारित	1,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	4286,49,60,000
प्रभारित	60,00,00,000

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	546,62,34,000
राजस्व	
स्वीकृत	546,62,34,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	14937,43,47,000
राजस्व	
स्वीकृत	10590,92,87,000
प्रभारित	1,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	4286,49,60,000
प्रभारित	60,00,00,000

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

800-अन्य व्यय

99-एच.वी.पी.एन.एल. को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत **546,62,34,000**

वित्त वर्ष 2022-23 में एच वी पी एन एल/ एच पी जी सी एल के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु खर्च को पूरा करने के लिए 780,07,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। मांग संख्या 19-सिंचाई/उद्योग/ऊर्जा तथा विद्युत में 233,44,66,000/- रुपये की उपलब्ध बचत को समायोजित करते हुए 546,62,34,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2022-23 में उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 546,62,34,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2022-23 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च का मद है।